

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/लेखा/मंडी बजट/19-20/292 भोपाल दिनांक 23/12/2019
प्रति,

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

.....जिला(म.प्र.)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 की गतिविधियों एवं वर्ष 2020-21के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम।

—00—

वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान की तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश संलग्न हैं।

कृपया संलग्न दिशा निर्देशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस संबंध में मंडी समिति के लेखापाल/बजट नियंत्रण कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की जा रही है।

अतएव संलग्न सूची अनुसार निर्धारित दिनांक को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए लेखापाल/निवाही कर्मचारी को निर्देशित करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

अपर संचालक(वित्त)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/लेखा/मंडी बजट/19-20/293

भोपाल दिनांक 23/12/2019

प्रतिलिपि:-

1/ निज सचिव, प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2/ संयुक्त/उप संचालक म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालयकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक(वित्त)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष
2020-21 के बजट अनुमान की तैयारी हेतु दिशा निर्देश।

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान प्रस्ताव मण्डी बोर्ड मुख्यालय की वित्त (बजट) शाखा को निर्धारित बजट प्रारूप में मदवार उपलब्ध कराये जावें।
2. वेतन मद के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय 'वेतन' मद (Regular Salary) उद्देश्य शीर्ष B02(02-001) अंतर्गत विस्तृत शीर्ष B02(02-001) वेतन में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3.5 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

2. विस्तृत शीर्ष B02(002-01) (Regular DA) मंहगाई भत्ता में बजट अनुमान वर्ष 2020-21 के वेतन मद में प्रावधानित राशि का 10 प्रतिशत रखी जा सकती हैं।

3. नवीन नियुक्तियों एवं सेवागिवृत्ति आदि की स्थिति के कारण यदि उपर्युक्त सीमा से अधिक/कम राशि प्रस्तावित की जाती हैं, तो टिप्पणी (संक्षिप्त विवरण) में कारण स्पष्ट किया जाए।

4. यदि मद शीर्ष क्रमांक- A01(01-001) (Honourarium to Chairman) नहीं होने की स्थिति में किसी विभाग के अंतर्गत किसी स्थापना में रा.प्र.सेवा/शासन के अन्य पदाधिकारी की पद स्थापना न हो परन्तु वर्ष 2020-21 में पदस्थापना की संभावना हो, तो प्रतीक प्रावधान रखा जाए।

5. बजट नियंत्रण अधिकारी (सचिव/लेखापाल) की जिम्मेदारी होगी कि अनिवार्य व स्थापना व्यय का सटीक आकलन किया जावे।

3. अन्य व्ययों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय वाहन, वर्दी एवं अन्य हेतु मद शीर्ष क्रमांक- B02(02-003) अंतर्गत लघु मद शीर्ष क्रमांक- 001,002,003 में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय दैनिक वेतन भागी(नैमेतिक स्थापना व्यय) हेतु मद शीर्ष क्रमांक- C03(03-001) में वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय स्थाई कर्मी कर्मचारियों के वेतन आहरण हेतु उद्देश्य एवं अन्य हेतु मद शीर्ष क्रमांक- B02(02-001,002,003) अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा देयक, चिकित्सा व्यय, एव कार्यालय की सुरक्षा हेतु उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक— D04(04-001), E05(05-001), F06(06-001) अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

4. कार्यालयीन व्यय के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय कार्यालयीन कार्य सुगम बनाने हेतु उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक— H08(08-001से 08-020तक), तथा उक्त मदों में ऐसी मद जो प्रपत्र में उल्लेखित नहीं हैं के लिये मद शीर्ष क्रमांक— H08(08-021) अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

5. कार्यालयीन व्यय के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर दिये जाने वाले 'प्रशिक्षण' हेतु उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक— I09(09-001), अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

6. कार्यालयीन रखरखाव एवं मरम्मत व्यय के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय कार्यालय भवन एवं मण्डी प्रांगण में कृषको/अनुज्ञापितधारी व्यापारियों की सुविधा हेतु उपलब्ध सामग्री के रखरखाव एवं मरम्मत व्यय हेतु उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक—J10(10-001से 10-008 तक), तथा उक्त मदों में ऐसी मद जो प्रपत्र में उल्लेखित नहीं हैं के लिये मद शीर्ष क्रमांक— J10(10-009) अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

7. मंडी प्रांगण में सुविधा एवं न्यायालयीन प्रकरणों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय मंडी प्रांगण में उपलब्ध सुविधाओं एवं मण्डी से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों के व्यय हेतु उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक—K11(11-001से 11-016 तक) अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

8. हम्माल/तुलावटी सहायता योजना के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय मंडी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल/तुलावटियों के लिए शासन की योजना अंतर्गत बीमा एवं वृद्धावस्था सहायता योजना के व्यय हेतु उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक-L12(12-001से 12-002) अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

9. ऋण अदायगी के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय मंडी प्रांगण में कृषको/व्यापारियों की सुविधा हेतु मण्डी बोर्ड से लिये गये ऋण अदायगी के व्यय हेतु उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक-M13(12-001) अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती हैं।

10. प्रत्यक्ष व्यय (वैधानिक निधि) के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय मंडीयों में होने वाली वार्षिक आय के आधार पर म.प्र. शासन/मंडी बोर्ड द्वारा नियमानुसार वैधानिक निधि का प्रतिशत निर्धारित करते हुये मद शीर्ष क्रमांक-P14(14-001), Q15(15-001), R16(16-001),S17(17-001), अंतर्गत वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय के आधार पर देय राशि रखी जा सकती हैं।


11. स्थाई संपत्तियों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय मंडी प्रांगण में भवन संरचनाओं के रखरखाव एवं छोटे मोटे निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में मंडी को होने वाली अनुमानित आय के आधार पर कार्यालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों/कृषको एवं अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधा के उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक-T18(18-001,002) अंतर्गत राशि रखी जा सकती हैं।

12. पूँजीगत व्यय के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय वित्तीय वर्ष 2020-21 में मंडी को होने वाली अनुमानित आय के आधार पर नवीन मंडी प्रांगण कय, फर्नीचर, कम्प्यूटर, तौलकांटा, मशीन उपकरण, जनरेटर, वाहनकय एवं विद्युत सामग्री आदि के उद्देश्य के लिये मद शीर्ष क्रमांक-U19(19-001 से 19-009 तक) बजट प्रपत्र में उल्लेखित मद शीर्ष अंतर्गत राशि प्रावधानित की जा सकती हैं। ऐसी मद शीर्ष U19 में उल्लेखित नहीं हैं के लिये मद शीर्ष क्रमांक-U19(19-010) अंतर्गत स्थाई रूप की सामग्री कय करने हेतु राशि प्रावधानित की जा सकती हैं।

बजट प्रस्तावो के साथ योजनावार टीप पृथक से बजट चर्चा की निर्धारित दिनांकको मण्डी के लेखापाल/निवाही लिपिक आदि मुख्यालय की लेखा शाखा (बजट) को अनिवार्यतः उपलब्ध करावें।



अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल
W

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	बैठक दिनांक
01	भोपाल	27.12.2019(शुक्रवार)
02	पिपरिया	
03	गंजबासौदा	
04	विदिशा	
05	आष्टा	
06	हरदा	
07	इटारसी	
08	बानापुरा	
09	सीहोर	
10	टिमरनी	
11	बैतूल	30.12.2019(सोमवार)
12	बरेली	
13	इन्दौर	
14	बदनावर	
15	धार	
16	खरगोन	
17	खण्डवा	
18	सेंधवा	
19	उज्जैन	
20	मंदसौर	
21	देवास	02.01.2020(गुरुवार)
22	नीमच	
23	जावरा	
24	रतलाम	
25	बडनगर	
26	शुजालपुर	
27	आगर	
28	खातेगांव	
29	जबलपुर	
30	कटनी	
31	सिहोरा	04.01.2020(शनिवार)
32	छिदंवाडा	
33	सागर	
34	दमोह	
35	टीकमगढ	
36	डबरा	
37	अशोकनगर	
38	गुना	
39	सतना	

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	बैठक दिनांक
01	बैरसिया	06.01.2020(सोमवार)
02	नसरुल्लागंज	
03	औबेदुल्लागंज	
04	रायसेन	
05	सिरौंज	
06	ब्यावरा	
07	पचौर	
08	नरसिंहगढ	
09	कुरावर	
10	खिरकिया	
11	होशंगाबाद	08.01.2020(बुधवार)
12	सांवेर	
13	महू	
14	धामनोद	
15	मनावर	
16	कुक्षी	
17	सनावद	
18	भीकनगांव	
19	बुरहानपुर	
20	महिदपुर	
21	तराना	10.01.2020(शुक्रवार)
22	पिपल्या	
23	सैलाना	
24	शाजापुर	
25	दतिया	
26	लश्कर	
27	कुम्भराज	
28	मुगांवाली	
29	कोलारस	
30	श्योपुरकलौ	
31	बीना	14.01.2020(मंगलवार)
32	खुरई	
33	हरपालपुर	
34	निवाडी	
35	शहपुरा भिटौनी	
36	सौसर	
37	गाडरवाडा	
38	करेली	
39	नरसिंहपुर	
40	गोटेगांव	
41	सिवनी	
42	नागोद	